

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1	अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्र.358) दि. 18-02-2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में स्व-सहायता समूहों को विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान राशि वितरण में पाई गई अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्रश्नांश 'क' से 'घ' के परिप्रेक्ष्य में विभाग में संचालित योजनाओं के ऋण/मार्जिन मनी राशि के वितरण में अनियमितता पायी गई है जिसकी जाँच कलेक्टर द्वारा कराई जा रही है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.37) दि. 18-02-2019 (श्री आरिफ मसूद)	भोपाल जिले में 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक अपहृत नाबालिग बेटियों को विशेष अभियान चलाकर बरामद किया जाना तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	शासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है ।		
3	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.196) दि. 18-02-2019 (श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू))	(1) मंदसौर जिले में 06 जून 2017 को पिपलिया मंडी में हुए गोलीकांड पर पुलिस कर्मचारी व अन्य अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया जाना । (2) दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त न्यायिक जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) (ख) से (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
4	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.205) दि. 18-02-2019 (श्री मनोज चावला)	(1) मंदसौर जिले में 06 जून 2017 को हुए गोलीकांड की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाना । (2) दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाना । (3) दिनांक 06-08 जून 2017 के दरम्यान घनश्याम धाकड़ की पुलिस द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने का प्रकरण दर्ज किया जाना ।	(1) न्यायिक जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है। (2) जाँच प्रतिवेदन परीक्षाधीन होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (3) मजिस्ट्रियल जाँच प्रचलित है।		
5	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.209) दि. 18-02-2019 (श्री इन्दर सिंह परमार)	पुलिस थाना शुजालपुर एवं थाना सुन्दरसी के प्रधान आरक्षक श्री कमलेश राठोरिया एवं प्रधान आरक्षक श्री कचरूलाल द्वारा चोरी की रिपोर्ट थाने में अंकित न करने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलन में है ।		
6	अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.198) दि. 18-02-2019 (श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू))	मंदसौर के पिपलिया मंडी में दिनांक 06 जून 2017 को हुए गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट अनुसार जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज किया जाना ।	उक्त जाँच रिपोर्ट पर परीक्षण उपरांत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	अतारंकित प्रश्न सं.46 (प्रश्न क्रं.202) दि. 18-02-2019 (श्री रामकिशोर (नानो) कावरे)	बालाघाट जिले के परसावाड़ा विधान सभा के पुलिस थानों में पुलिस बल बढ़ाया जाना ।	उपलब्धता के आधार पर कमी बल की पूर्ति यथाशीघ्र की जायेगी।		
8	अतारंकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.210) दि. 18-02-2019 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के थाना अकोदिया अंतर्गत प्रीति पिता श्री महेन्द्र कुमार गुरगेला द्वारा दिनांक 13.01.2019 को दिए आवेदन पर शादी में दहेज न मिलने के कारण श्री राम पोरबाल पिता ईश्वरनाथ पोरबल द्वारा शादी से इंकार किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	उल्लेखित आवेदन पत्र की जाँच निरीक्षक पार्वती गोड, थाना प्रभारी अकोदिया द्वारा की जा रही है। जी हाँ। प्रीति गुरगेला एवं उसके पिता महेन्द्र गुरगेला के बयान लिये गये है। प्रकरण विवेचनाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
9	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.135) दि. 18-02-2019 (श्री हरदीपसिंह डंग)	मंदसौर जिले के नगर परिषद सीतामऊ में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना ।	नगर परिषद सीतामऊ को स्वीकृत विशेष निधि रूपये 1.00 करोड़ की डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रचलित है ।		
10	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.68) दि. 18-02-2019 (डॉ. सीतासरन शर्मा)	होशंगाबाद नगर पालिका के संबंध में जनवरी 2016 से जनवरी 2019 तक नगरीय कल्याण मंत्री, म.प्र. शासन एवं प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही किया जाना ।	प्रारंभिक जाँच में उत्तरदायी पाये गये अध्यक्ष एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उत्तर प्राप्त किये गये है। जो परीक्षणाधीन है ।		
11	अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.192) दि. 18-02-2019 (श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया))	ग्वालियर जिले के मुरार अंतर्गत हुरावली फूटी कॉलोनी में नवम्बर एवं दिसम्बर 2018 में हटाए गए गरीब परिवारों का पुनर्वास किया जाना ।	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पात्रतानुसार आवास आवंटन किया जावेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
12	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.17) दि. 18-02-2019 (श्री नागेन्द्र सिंह (गुड))	(1) वर्ष 2016 में प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन द्वारा भण्डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाईट क्रय किए जाने की जांच हेतु समस्त कलेक्टरों व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लिखे पत्र पर कार्यवाही की जाना। (2) गठित जांच दल द्वारा दोषियों के विरुद्ध की गई जांच एवं जांच के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) जी हां। कार्यवाही प्रचलित है। (2) जी हां। जांच वृहद होने के कारण कार्यवाही प्रचलन में है।		
13	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.35) दि. 18-02-2019 (श्री दिनेश राय मुनमुन)	दिनांक 30.11.2017 के तारांकित प्रश्न क्र. 1160 के उत्तर में भ्रामक एवं असत्य जानकारी उपलब्ध कराने पर आयुक्त जबलपुर एवं भोपाल संभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही किया जाना।	आयुक्त, जबलपुर एवं भोपाल संभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
14	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.269) दि. 18-02-2019 (श्री राकेश गिरि)	(1) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ में ग्राम पंचायत लार एवं बुडेरा ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति पश्चात् भी योजना में प्रगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए श्री सिद्धगोपाल वर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (2) मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में श्री सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। (2) श्री सिद्धगोपाल वर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई वर्तमान में विभागीय जाँच कार्यवाही प्रचलन में है।		
15	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.275) दि. 18-02-2019 (श्री राकेश गिरि)	(1) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ अंतर्गत ग्राम बडमाडई में नवीन तालाब निर्माण का मूल्यांकन नहीं कराए जाने के लिए दोषियों पर कार्यवाही किया जाना। (2) ग्राम बडमाडई से लुहरा मार्ग व नवीन तालाब निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाना व जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।	(1) तालाब में मूल्यांकन नहीं कराने के संबंध में जाँच प्रचलन में है, तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) जाँच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी है, जिस हेतु जिला स्तरीय जाँच कमेटी गठित की गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	<p>अतारांकित प्रश्न सं.79 (प्रश्न क्रं.343) दि. 18-02-2019 (श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया)</p>	<p>विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत ग्राम आकली के निकट विकासखण्ड स्तरीय निर्माणाधीन ग्रामीण खेल मैदान में सुधार कार्य कराया जाना ।</p>	<p>साथ ही पवेलियन के फर्श कार्य, मैदान के समतलीकरण कार्य में काम्पेक्शन त्रुटिपूर्ण होने से सुधार कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है ।</p>		
17	<p>अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.404) दि. 18-02-2019 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))</p>	<p>(1) नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत राकई में कलेक्टर को प्रेषित गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य होने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की जाना ।  (2) नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत ठेमी एवं खोबी के पंचायत सचिव द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताएं किए जाने संबंधी कलेक्टर को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जाना ।  (3) उक्त शिकायती पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाना ।</p>	<p>(1) शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच कराई गई एवं जाँच में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत राकई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।  (2) जी हाँ।  (3) शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच कराई गई एवं जाँच में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत ठेमी एवं खोबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।</p>		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
18	अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.255) दि. 18-02-2019 (डॉ. मोहन यादव)	विधान सभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	जिसकी पद पूर्ति कार्यवाही प्रचलन में हैं ।		
19	अतारांकित प्रश्न सं.84 (प्रश्न क्रं.361) दि. 18-02-2019 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सतना जिले के विधान सभा क्षेत्र मैहर अंतर्गत कंचनपुर क्र. 02 तथा सिलौटी एवं सढेरा क्र. 02 आंगनवाड़ियों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	मैहर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र कंचनपुर क्र. 02 में कार्यकर्ता तथा सिलौटी एवं सढेरा क्र. 02 में आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त है। इस तरह 01 कार्यकर्ता एवं 02 सहायिका के पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

श्रम विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
20	अतारंकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्र.405) दि. 18-02-2019 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))	नरसिंहपुर जिला अंतर्गत संबल योजना के तहत मृत्यु उपरांत लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाना ।	हितलाभ की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		



**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दिनांक: 18-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
21	अतारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.491) दि. 18-02-2019 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (राजू भैया))	(1) युवाओं को अधिक रोजगार सुलभ कराने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2018 एवं एम.एस.एम.ई 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया जाने के आधार पर कार्यवाही की जाना ।  (2) टेक्सटाईल/गारमेन्ट इण्डस्ट्रीज में रोजगार सृजन हेतु राज्य के चार संभागों में टेक्सटाईल/गारमेन्ट पार्क की स्थापना हेतु उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करने हेतु कार्यवाही की जाना ।	(1) औद्योगिक संघों से प्राप्त सुझावों एवं वचन पत्र के अनुरूप नीति में परिवर्तन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।  (2) जी हाँ। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।		